''बिना प्रतिफल के अनुबंध व्यर्थ होता है।'' प्रतिफल को परिभाषित करें एवं इसके अपवादो को बताएँ।

उत्तर :- **प्रतिफल का अर्थ**

प्रतिफल एक वैद्य ठहराव के लक्षणों में से एक है। इसका सामान्य अर्थ होता है, बदले में कुछ प्राप्त करना। लैटिन भाषा में bls quid-pro-quo कहा जाता है तथा इसी शब्द से प्रतिफल शब्द का प्रादुर्भाव हुआ है। साधारण बोल-चाल की भाषा में प्रतिफल से आशय उस मूल्य या प्राप्ति से होता है जो वचनदाता को वचन के बदले वचनगृहीता से प्राप्त है।

प्रतिफल की परिभाषा

प्रतिफल की परिभाषा विभिन्न विद्वानो के द्वारा दी गई है जो कि निम्न प्रकार से है।

(1) **न्यायाधीश लश के अनुसार :-**

प्रतिफल की परिभाषा न्यायाधीश लश के अनुसार इस प्रकार है, ''राजनियम की दृष्टि से एक मूल्यवान प्रतिफल किसी पक्षकार को प्राप्त होने वाला लाभ, अधिकार या सुविधा हो सकता है, अथवा दूसरे पक्षकार को दिलाया गया धैर्य, दृढ़ता, क्षति तथा उत्तरदायित्व हो सकता है।''

यह परिभाषा उनके द्वारा इंगलैण्ड के विख्यात विवाद क्यूरी बनाम मीसा के सुनवाई के दौरान दी गयो थी।

(2) **चेशायर तथा फिफूट के अनुसार :-**

''प्रतिफल वचन का मूल्य है।''

अर्थात

प्रतिफल वचन के लिए चुकाया गया मूल्य है।

(3) **ब्लेकस्टोन के अनुसार :-**

''प्रतिफल अनुबंध करने वाले एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को दी जाने वाली पारितोषिक है।''

अर्थात

प्रतिफल वचनदाता को वचनगृहीता के द्वारा दी जाने वाली पारितोषिक है।

(4) **न्यायाधीश हिदायतुल्ला के अनुसार :-**

भूतपूर्व न्यायाधीश हिदायतुल्ला के अनुसार प्रतिफल की परिभाषा इस प्रकार है,'' प्रतिफल वह वस्तु है, जिसका कानून की दृष्टि में कुछ मूल्य है।''

(5) **सर फ्रेडरिक पोलक के अनुसार :-**

''प्रतिफल वह मूल्य है जिसके बदले दूसरे का वचन खरीदा जाता है, इस मूल्य के बदले प्राप्त वचन को प्रवर्तित कराया जा सकता है।''

(6) **भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा २(d) के अनुसार :-**

''जब वचनदाता की इच्छा पर वचनगृहीता अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कार्य किया है या करने से विरत रहा है अथवा कोई कार्य करने या विरत रहने का वचन देता है, तो ऐसा कार्य या विरति उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है।''

उपरोक्त परिभाषाओ के विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते है, कि प्रतिफल वह मूल्य है जो अनुबंध में एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को देने के लिए सहमत है।

प्रतिफल एक पक्षकार के लिए लाभ तथा दूसरे के लिए क्षति अथवा दोनो पक्षकारो के लिए क्षति हो सकता है।

प्रतिफल के आवश्यक तत्व

(1) प्रतिफल किसी कार्य को करने अथवा न करने का वचन हो सकता है।

(2) प्रतिफल वचन गृहीता या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा संभव है।

(3) प्रतिफल वचनदाता के इच्छानुसार दिया जाना चाहिए।

(4) प्रतिफल होना आवश्यक है लेकिन इसका पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है।

(5) प्रतिफल अवैधानिक नही होना चाहिए।

(6) प्रतिफल भूत, वर्तमान या भावी हो सकता है।

प्रतिफल अनुबंध के आवश्यक लक्षणों में से एक है इसप्रकार इसके बिना अनुबंध नहीं किया जा सकता है यह सामान्य नियम है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा (25) में कुछ ऐसे अनुबंधो की चर्चा है जो बिना प्रतिफल के भी मान्य है।

जो इस प्रकार है।

(1) स्वाभाविक प्रेम या स्नेह के द्वारा संविदा।

(2) क्षतिपूर्ति का वचन देना।

(3) Time barred debts के भुगतान का वचन देना।

(4) एजेंसी के अनुबंध।

(5) नि:शुल्क वस्तु उधार देने की स्थिति।

(6) पुरस्कार एवं दान की स्थिति।

-: व्याख्या :-

(1) **स्वाभाविक प्रेम या स्नेह के द्वारा संविदा :-**

परस्पर संबंधी के बीच में किया गया अनुबंध जब पंजीकृत करा दिया जाता है, तो बिना प्रतिफल के ही वचन को प्रवर्तनिय कराया जा सकता है।

''बिना प्रतिफल के अनुबंध व्यर्थ होता है।'' प्रतिफल को परिभाषित करें एवं इसके अपवादो को बताएँ।

उत्तर :- **प्रतिफल का अर्थ**

प्रतिफल एक वैद्य ठहराव के लक्षणों में से एक है। इसका सामान्य अर्थ होता है, बदले में कुछ प्राप्त करना। लैटिन भाषा में bls quid-pro-quo कहा जाता है तथा इसी शब्द से प्रतिफल शब्द का प्रादुर्भाव हुआ है। साधारण बोल-चाल की भाषा में प्रतिफल से आशय उस मूल्य या प्राप्ति से होता है जो वचनदाता को वचन के बदले वचनगृहीता से प्राप्त है।

प्रतिफल की परिभाषा

प्रतिफल की परिभाषा विभिन्न विद्वानो के द्वारा दी गई है जो कि निम्न प्रकार से है।

(1) **न्यायाधीश लश के अनुसार :-**

प्रतिफल की परिभाषा न्यायाधीश लश के अनुसार इस प्रकार है, ''राजनियम की दृष्टि से एक मूल्यवान प्रतिफल किसी पक्षकार को प्राप्त होने वाला लाभ, अधिकार या सुविधा हो सकता है, अथवा दूसरे पक्षकार को दिलाया गया धैर्य, दृढ़ता, क्षति तथा उत्तरदायित्व हो सकता है।''

यह परिभाषा उनके द्वारा इंगलैण्ड के विख्यात विवाद क्यूरी बनाम मीसा के सुनवाई के दौरान दी गयी थी।

(2) **चेशायर तथा फिफूट के अनुसार :-**

''प्रतिफल वचन का मूल्य है।''

अर्थात

प्रतिफल वचन के लिए चुकाया गया मूल्य है।

(3) **ब्लेकस्टोन के अनुसार :-**

''प्रतिफल अनुबंध करने वाले एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को दी जाने वाली पारितोषिक है।''

अर्थात

प्रतिफल वचनदाता को वचनगृहीता के द्वारा दी जाने वाली पारितोषिक है।

(4) **न्यायाधीश हिदायतुल्ला के अनुसार :-**

भूतपूर्व न्यायाधीश हिदायतुल्ला के अनुसार प्रतिफल की परिभाषा इस प्रकार है,'' प्रतिफल वह वस्तु है, जिसका कानून की दृष्टि में कुछ मूल्य है।''

(5) **सर फ्रेडरिक पोलक के अनुसार :-**

''प्रतिफल वह मूल्य है जिसके बदले दूसरे का वचन खरीदा जाता है, इस मूल्य के बदले प्राप्त वचन को प्रवर्तित कराया जा सकता है।''

(6) **भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा २(d) के अनुसार :-**

''जब वचनदाता की इच्छा पर वचनगृहीता अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कार्य किया है या करने से विरत रहा है अथवा कोई कार्य करने या विरत रहने का वचन देता है, तो ऐसा कार्य या विरति उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है।''

उपरोक्त परिभाषाओ के विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते है, कि प्रतिफल वह मूल्य है जो अनुबंध में एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को देने के लिए सहमत है।

प्रतिफल एक पक्षकार के लिए लाभ तथा दूसरे के लिए क्षति अथवा दोनो पक्षकारो के लिए क्षति हो सकता है।

प्रतिफल के आवश्यक तत्व

(1) प्रतिफल किसी कार्य को करने अथवा न करने का वचन हो सकता है।

(2) प्रतिफल वचन गृहीता या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा संभव है।

(3) प्रतिफल वचनदाता के इच्छानुसार दिया जाना चाहिए।

(4) प्रतिफल होना आवश्यक है लेकिन इसका पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है।

(5) प्रतिफल अवैधानिक नही होना चाहिए।

(6) प्रतिफल भूत, वर्तमान या भावी हो सकता है।

प्रतिफल अनुबंध के आवश्यक लक्षणों में से एक है इसप्रकार इसके बिना अनुबंध नहीं किया जा सकता है यह सामान्य नियम है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा (25) में कुछ ऐसे अनुबंधो की चर्चा है जो बिना प्रतिफल के भी मान्य है।

जो इस प्रकार है।

(1) स्वाभाविक प्रेम या स्नेह के द्वारा संविदा।

(2) क्षतिपूर्ति का वचन देना।

(3) Time barred debts के भुगतान का वचन देना।

(4) एजेंसी के अनुबंध।

(5) नि:शुल्क वस्तु उधार देने की स्थिति।

(6) पुरस्कार एवं दान की स्थिति।

-: व्याख्या :-

(1) **स्वाभाविक प्रेम या स्नेह के द्वारा संविदा :-**

परस्पर संबंधी के बीच मं किया गया अनुबंध जब पंजीकृत करा दिया जाता है, तो बिना प्रतिफल के ही वचन को प्रवर्तनिय कराया जा सकता है।

(2) **क्षतिपूर्ति का वचन देना :-**

यदि संविदा किसी ऐसे व्यक्ति के पूर्ण अथवा आंशीक क्षतिपूर्ति का वचन है जिसने वचनदाता की इच्छा के वगैर किए गए कार्य के लिए वचनदाता से क्षतिपूर्ति का वचन प्राप्त कर चूका है। ऐसी संविदा बिना प्रतिफल के वैध है।

(3) **Time barred debt के भुगतान का वचन देना :-**

Time barred debt को पूर्ण या आंशीक रूप से भुगतान के लिए दिया गया वचन बिना प्रतिफल के प्रवर्तनिय है।

(4) **एजेंसी के अनुबंध :-**

धारा 185 के अनुसार एजेंसी के निर्माण के लिए किया गया अनुबंध बिना प्रतिफल के वैध माना जाता है।

(5) **नि:शुल्क वस्तु उधार देने की स्थिति :-**

नि:शुल्क वस्तु उधार देने की स्थिति में प्रतिफल का हाना अनिवार्य नहीं है यह बिना प्रतिफल के भी वैध है।

(6) **पुरस्कार एवं दान की स्थिति :-**

यदि किसी व्यक्ति के द्वारा सम्पत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत लिखित या पंजीकृत विलेख के द्वारा सम्पत्ति किसी व्यक्ति या संस्थान को दान कर दिया है, तो उक्त सम्पत्ति को वह बिना प्रतिफल के दिए जाने के कारण वापस नहीं मांग सकता।